बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना

सूचना

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार द्वारा संचालित, पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान प्रदान करने के निमित्त हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं में अप्रकाशित उत्कृष्ट मौलिक पांडुलिपियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

वैसे लेखक, जो अपनी कृति का प्रकाशन अर्थाभाव के कारण करा सकने में असमर्थ है, अपनी अप्रकाशित पांडुलिपि (पांडुलिपि का नाम एवं पृष्ठ संख्या सहित सुस्पष्ट टंकित अथवा हस्तलिखित) दो प्रतियों में दिनांक 31.10.14 तक विशेष सचिव-सह-निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, ऑफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक सी/211, हड़ताली मोड़ के निकट, बेली रोड, पटना-800001 को उपलब्ध करा सकते हैं।

इस योजना का कार्यान्वयन निम्न शर्त्तों के तहत किया जाएगा -

1. अनुदान हेतु पांडुलिपियों का चयन तथा अनुदान राशि का निर्धारण उनकी स्तरीयता एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय सर्वमान्य होगा।
2. अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई बाह्य अनुशंसा स्वीकार्य नहीं होगी।
3. शोध प्रबंध पर प्रकाशन अनुदान देय नहीं होगा।
4. अस्वीकृत पांडुलिपियां लेखकों के अनुरोध पर विभाग द्वारा लौटा दी जायेंगी।
5. अनुदान-प्राप्त पांडुलिपि विभाग की धरोहर होगी और उसकी एक प्रति लेखक के अनुरोध पर लौटाई जा सकेगी।
6. अनुदान-प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर पुस्तक प्रकाशित नहीं करने की स्थिति में अनुदान की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग को लौटानी होगी। ऐसा नहीं करने पर विधिक कार्रवाई द्वारा राशि की वसूली की जाएगी।
7. विभाग द्वारा यदि किसी लेखक को किसी भी विधा में पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान पूर्व में प्राप्त हो चुका है, तो उन्हें 5 वर्षों के अंतराल पर ही दुबारा अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
8. लेखक द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा कि उन्हें विगत पाँच वर्षों में मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान प्रदान नहीं किया गया है।

22.09.14

(अजय कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव-सह-निदेशक
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग
बिहार, पटना-800001

E:\Ratish- Pankaj (2014)\Ram\word\HINDI PANDULIPI PRAKASHAN ANUDAN YOJANA 2014-15\HINDI P P A Y.doc